छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास, पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2422425, FAX – 0771-2429385; website: www.cgbse.nic.in; email: secycgbse@gmail.com

क्र./2935 / मान्यता /2024 रायपुर, दिनांक 09/11/2025

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थायें,
छत्तीसगढ़

विषय: अशासकीय मान्यता नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं शुल्क ऑनलाइन जमा करने विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मण्डल द्वारा अशासकीय संस्थाओं के मान्यता नवीनीकरण के आवेदन पत्र एवं मान्यता नवीनीकरण शुल्क भुगतान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जो दिनांक 21-11-2024 से प्रारंभ कर दिया गया है। मान्यता नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु संस्था को www.vidia.cgbse.nic.in में लॉग इन करने के पश्चात् Manyata Renew के विकल्प का चयन करना होगा, जिसमें संस्था को निम्नानुसार जानकारी अनिवार्यतः देनी होगी :-

1. सामान्य जानकारी :- इसमें संस्था के प्रबंधकारिणी समिति, समिति के पंजीयन, विभागीय अनुमति, मंडल से प्राप्त अंतिम मान्यता नवीनीकरण आदि की जानकारी दिया जाना होगा।
2. शैक्षणिक विवरण :- इसमें प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ़ की जानकारी दिया जाना होगा।
3. दर्ज छात्रों की संख्या एवं विषय विवरण:- संस्था में कक्षा 9 वीं से 12 वीं में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अध्यापन विषय की जानकारी दिया जाना होगा।
4. शिक्षकों का विवरण :- संस्था में कार्यरत प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकों की योग्यता, अध्यापन विषय, अध्यापन अनुभव आदि की जानकारी प्रविष्ट कर OTP के माध्यम से शिक्षकों को वेरीफाई करना होगा।
5. आधारभूत संरचना विवरण :- संस्था की भूमि, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद के मैदान आदि की जानकारी दिया जाना होगा।
6. वित्तीय विवरण :- संस्था के विगत 3 वर्षों के आय-व्यय, अक्षय निधि, बचत खाता एवं विद्यार्थियों से ली जाने वाली वार्षिक शुल्क का विवरण दिया जाना होगा।
7. दस्तावेज अपलोड :- इसमें संस्था द्वारा ऊपर दिए गये समस्त जानकारियों से संबंधित दस्तावेज (समिति पंजीयन प्रमाण पत्र, अंतिम मान्यता प्रमाण पत्र, ऑडिट रिपोर्ट आदि) की पीडीएफ़ फ़ाइल अपलोड करना होगा।
8. घोषणा पत्र :- उपरोक्त सरल क्र. 1 से 7 तक की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद घोषणा पत्र दिया जाना होगा।
9. शुल्क भुगतान :- संस्था द्वारा घोषणा पत्र सबमिट करने के बाद ही मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

उक्त समस्त जानकारी मान्यता नवीनीकरण पोर्टल में अपडेट करने के बाद निम्नानुसार मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा :-

अ) सामान्य शुल्क के साथ	- दिनांक 31-12-2024 तक
आ) विलम्ब शुल्क के साथ 2000/- (प्रति परीक्षा)	- दिनांक 15-01-2025 तक
इ) विलम्ब शुल्क के साथ 3000/- (प्रति परीक्षा)	- दिनांक 31-01-2025 तक
ई) विलम्ब शुल्क के साथ 4000/- (प्रति परीक्षा)	- दिनांक 28-02-2025 तक

अतः उपरोक्तानुसार सरल क्र. 1 से 8 तक की कार्यवाही निर्धारित तिथि में कर ऑनलाइन मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण करें। मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान, समस्त दस्तावेज के परीक्षण एवं अनुमोदन उपरांत मान्यता प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया जायेगा।

मान्यता नवीनीकरण आवेदन एवं शुल्क ऑनलाइन जमा करने के उपरांत मान्यता नवीनीकरण आवेदन की हार्ड कॉपी एवं संलग्न दस्तावेज मंडल कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मान्यता नवीनीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की पावती डाउनलोड कर समस्त दस्तावेज के साथ संस्था में सुरक्षित रखे. आवश्यकतानुसार मंडल द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजो की जानकारी मांगी जा सकती है।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

9/11/25

वित्ताधिकारी
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल,
रायपुर